

6



सवाल नम्बर - 102 शक - 80

न्यायालय उप जिलाधिकारी कागपत

काद संख्या - 25 सत 1996 ई

सन्त गोपीचन्द रेजिस्ट्रेशन स्थंड वेल्लेपु सोसाइटी
कागपत

ग्राम सभा इरचन्दपुर

अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र० ज० वि० अधिनियम

श्रीजा इरचन्दपुर तहसील कागपत

जागपत कागपत



न्यायालय उपजिलाधिकारी बागपत

वाद संख्या - 25

सन् 1996 ई०

सन्त गोपीचन्द ऐजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, अहैडा द्वारा प्रबन्धक जयकरण पुत्र गोपीचन्द ।

बनाम

ग्राम समा हरचन्दपुर द्वारा ग्राम प्रधान हरचन्दपुर परगना व तहसील बागपत, जनपद बागपत।

अर्न्तगत धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम मौजा हरचन्दपुर तहसील बागपत जनपद बागपत।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत। तह० की आख्या दि० 28-10-1996 के अनुसार खसरा नम्बर 196 रकबा 0.638 है०, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.308 है०, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.182 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.203 है०, तथा खसरा नम्बर 207 रकबा 0.819 है०, कुल नम्बरान 5 रकबई 2.150 है० लगान 96 रुपये सालाना स्थित मौजा हरचन्दपुर में वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम के अर्न्तगत अकृषिक भूगो घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः तहसील की आख्या दि० 28-10-1996 तथा वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 196 रकबा 0.638 है०, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.308 है०, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.182 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.203 है०, तथा खसरा नम्बर 207 रकबा 0.819 है०, कुल नम्बरान 5 रकबई 2.150 है० लगान 96 रुपये स्थित मौजा हरचन्दपुर पर वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है। इसलिये उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम के अर्न्तगत भू० राजस्व से मुक्त कर अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बागपत के कार्यालय में भेजी जाये। वाद आ० का० पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

कोमत टिकट.....12=50
तिथि प्रार्थना पत्र...28.10.96
तिथि नोटिस.....X.....
तिथि देने को...29.10.96
हस्ताक्षर.....



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक.....
29.10.96